



2026:AHC:67721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या-- 2169 वर्ष 2026

सत्यदेव शुक्ल @ सत्य अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अरविंद सिंह परमार, वीरेंद्र सिंह परमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 50

माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

1. धारा 14-ए (2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रस्तुत आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अधिनियम, कानपुर नगर द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो केस अपराध संख्या-158 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुई जमानत आवेदन संख्या-4999 वर्ष 2025 में, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना-सचेंडी, जिला कानपुर नगर की धारा 147, 302, 120बी भ०द०वि० और 3(2)(5) के तहत दायर की गई है।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता, राज्य प्रतिपक्षी संख्या-1 के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पूरे अभिलेखों का अवलोकन किया। नोटिस की तामील के बावजूद, सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले गलत तरीके से फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि आक्षेपित प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। आगे यह कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। बताया जाता है कि यह घटना 17.05.2024 को हुई थी, जबकि नौ अभियुक्तों के खिलाफ बिना किसी बोधगम्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्टीकरण के 19.05.2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। आगे की दलील यह है कि इसी तरह के सह-अभियुक्त, राज बहादुर, महावीर @ बजरंगी @ नन्हे और अमंद @ सत्यम सिंह को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 30.10.2025, 28.04.2025 और 21.11.2025 के आदेशों के माध्यम से जमानत आदेशों की प्रति को हलफनामे के अनुलग्नक संख्या-10, 11 और 12 के रूप में संलग्न किया गया है। आगे की दलील यह है कि चूंकि समान रूप से रखे गए सह-आरोपी व्यक्तियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए आरोपी अपीलकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। अपीलकर्ता 20.06.2024 से जेल में बंद है, जिसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त है, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की जमानत के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

5. मैंने सह-अभियुक्त के जमानत आदेश का अवलोकन किया है और पाया है कि वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपी गई भूमिका लगभग सह-अभियुक्त के समान है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर बढ़ाया जा चुका है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपी गई भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता ने समानता के आधार पर जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने में गलती की। आक्षेपित आदेश दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त है और इसे रद्द करने योग्य है और अपील की अनुमति दी जा सकती है।

7. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।



8. उपरोक्त मामले के अपराध संख्या-में शामिल अपीलकर्ता-सत्यदेव शुक्ला @ सत्य को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।
- (iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या उस पर संदेह है, जिसके बारे में उस पर संदेह है।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)